

छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 973/2008

1. श्री इंदरचन्द सोनी,
सामाजिक कार्यकर्ता, जवाहर चौक,
दुर्ग (छत्तीसगढ़) — अपीलार्थी
- विरुद्ध
1. जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
दुर्ग (छत्तीसगढ़) — प्रति अपीलार्थी

// आदेश //
(दिनांक 31 मार्च, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री इंदरचन्द सोनी द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दुर्ग के समक्ष दिनांक 12.05.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 28.07.2008 को अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु उक्त अपील का भी समयावधि में निराकरण नहीं होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 02.09.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष के तर्कों का श्रवण किया गया । प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक 24.12.2008 को जन सूचना अधिकारी द्वारा निर्वाचन कार्य में व्यस्तता के कारण जानकारी उपलब्ध कराने में विलंब होना बताया और 15 दिवस में समस्त जानकारी निःशुल्क देने का आश्वासन दिया गया, किन्तु उसके बाद भी दिनांक 18.02.2009 तक जानकारी नहीं दिये जाने के कारण जन सूचना अधिकारी को पाँच हजार रुपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया और साथ ही संबंधित जानकारी का निःशुल्क अवलोकन कराये जाने तथा उसमें से सूची प्राप्त कर राशि 100/- रुपये तक की जानकारी निःशुल्क प्रदान करने के निर्देश दिये गये । प्रकरण में अंतिम सुनवाई दिनांक को प्रति अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एक-तरफा कार्यवाही की जाकर अपीलार्थी के तर्कों का श्रवण किया गया । अपीलार्थी ने बताया कि उन्हें अभी-तक कोई जानकारी आयोग के निर्देश के बाद भी प्रदान नहीं की गई है । जन सूचना अधिकारी ने कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और अंतिम सुनवाई दिनांक को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए भी उपस्थित नहीं हुये, अतः यह दर्शाता है कि उनके द्वारा सूचना का अधिकार के आवेदनों के संबंध में काफी लापरवाही बरती गई है । इसी तरह प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी अपील में सुनवाई नहीं की, इसके कारण संचालक, स्वास्थ्य सेवायें को निर्देशित किया गया था कि वे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करें । इस संबंध में संचालक, स्वास्थ्य सेवायें ने दिनांक 23.03.2009 के पत्र से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी से स्पष्टीकरण माँगा है तथा संचालक, स्वास्थ्य सेवायें

को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अब वे उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर इस पर विचार कर आवश्यकतानुसार उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही दोषी पाये जाने पर करें और आयोग को भी की गई कार्यवाही से अवगत करावें । प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी श्री इंद्रचन्द्र सोनी ने केवल इसी एक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के यहाँ काफी संख्या में विस्तृत जानकारी माँगते हुए आवेदन प्रस्तुत किये हैं और उसमें से काफी जानकारी उन्हें दे दी गई है और कई बार घुमा-फिराकर उक्त कार्यालय के अधिकारियों को संभवतः परेशान करने के इरादे से आवेदन देते रहते हैं, जिससे इस बात की आशंका है कि इस प्रकार के आवेदन किसी व्यक्तिगत विद्वेष की भावना से दे रहे हैं और एक प्रकार से सूचना का अधिकार का दुरुपयोग का उदाहरण प्रस्तुत होता है । फिर भी चूंकि जन सूचना अधिकारी ने आयोग के कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर नहीं दिया है और अभी-तक जानकारी नहीं दी गई है, अतः उनकी लापरवाही भी इस विलंब के लिए सिद्ध होती है । अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचार करते हुए थोड़ा उदार रूख अपनाया जाकर जन सूचना अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दुर्ग पर अधिनियम की धारा-20(1) के अन्तर्गत राशि 500/- रुपये की शास्ति आरोपित की जाती है । साथ ही प्रकरण में अब मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी को बुलाकर संबंधित रिकार्ड का निःशुल्क निरीक्षण करा दें और उसके बाद आयोग के पूर्व निर्देशानुसार उनसे सूची प्राप्त कर उन्हें 15 दिवस में राशि 100/- रुपये तक की जानकारी निःशुल्क प्रदाय करें और उससे अधिक की जानकारी चाहने पर निर्धारित शुल्क लेकर प्रदान की जावे । साथ ही प्रकरण में विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 200/- रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए०के० विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त